EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 853---858

Dated 15-6-2013

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2013

सा.का.नि. 154.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग में सहायक सब इंस्पेक्टर (आयुध) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग में सहायक सब इंस्पेक्टर (आयुध) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग, सहायक सब इंस्पेक्टर (आयुध) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **विशेष उपबंध.**—प्रत्येक आयुक्तालय का अपना पृथक काडर होगा, जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित न किया जाए ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक सब इंस्पेक्टर (आयुध)	51* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-1, 5200—20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	(1) ऐसा प्रधान हवलदार जिन्होंने वेतन बैंड 1,5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जो अग्न्यायुध को चलाने में प्रवीण है । (2) ऐसा हवलदार जिन्होंने वेतन बैंड 1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम छह वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा सिपाही जिन्होंने ग्रेड में कम से कम दस वर्ष नियमित सेवा की हो, जो अग्न्यायुध को चलाने में प्रवीण है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के एक वर्ष से अधिक कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित हो सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01-01-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की मई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व

	(11)
	पुनरीक्षित वेतनमान को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) एकल आयुक्तालय अर्थात् जिसका सामान्य काडर आयुक्तालय न हो । 1. मुख्यालय कार्यालय में ज्येष्ठतम अपर आयुक्त—अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त मुख्यालय जिसके न हो सकने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय पर उपलब्ध कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय)—सदस्य 3. अपर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/सीमा-शुल्क आयुक्त—सदस्य 4. आयकर उपायुक्त/सहायक आयकर आयुक्त—सदस्य (2) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् जहां दो या अधिक आयुक्तालय सामान्य काडर के हैं । 1. प्रत्येक आयुक्तालय का ज्येष्ठतम अपर आयुक्त (ज्येष्ठतम अधिकारी में से अध्यक्ष होगा)—अध्यक्ष 2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त मुख्यालय जिसके न हो सकने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय पर उपलब्ध कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय)-सदस्य 3. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/सीमा-शुल्क का अपर आयुक्त—सदस्य 4. आयकर उपायुक्त/सहायक आयकर आयुक्त—सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/10/2012-प्रशासन III बी]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2013

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Central Excise and Customs Department, Assistant Sub-Inspector (Weapons) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003 expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Weapons) in the Ministry of Finance, Central Excise and Customs Department, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Central Excise and Customs Department, Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification pay band and grade pay or pay scale.** —The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Special provison.**—Each Commissionerate shall have its own separate cadre, unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Sub-Inspector (Weapons)	51* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade pay Rs. 2000	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	1. Head Havaldar in Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay, Rs. 1900 with three years regular service in the grade who are proficient in handling fire-arms. 2. Havaldar in Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800 with six years regular service in the grade failing which Sepoy with ten years regular service in the grade, who are proficient in handling fire-arms. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility Service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period if prescirbed. **Note 2 :** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to lst January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— (I) Single Commissionerate i.e. having no common cadre : 1. The senior most Additional Commissioner at Headquarters Office —Chairman 2. The Additional/Joint Commissioner, Head-quarters, failing which any other senior most Additional/Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting —Member 3. Additional Commissioner of Central Excise/ Customs —Member 4. Deputy/Assistant Commissioner of Income-Tax —Member	Not applicable.

2706 GI/13-2

(12)	
(II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre :	
1. The senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them shall be the Chairman);	
2. The Additional/Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates, failing which any other senior most Additional/Joint Commissioner (Headquaters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting	—Member
3. Additional/Joint Commissioner of Central Excise/ Customs	—Member
4. Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax	—Member.

[F. No. A-12018/10/2012-Ad. III: B]

M. L. SHARMA, Under Secy.

MGIPRRND—2706 Fin./13—200 Copies.